न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी– सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

प्रा.प. संख्या 04 / 2021

1. रामवतार
2. राकेश
3. सोहन पुत्रगण रामेश्वर जाति चमार (बलाई) निवासीगण ढाणी राणावाली तहसील व जिला सीकर

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. महावीर पुत्र मुरली जाति बलाई निवासी ढाणी राणावाली तह0 व जिला सीकर
2. नाथूराम पुत्र सुरजाराम जाति बलाई निवासी अम्बेडकर कॉलोनी भेपतपुरा मालाकाली श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3. लेखरा पुत्र सुरजाराम जाति बलाई निवासी अम्बेडकर कॉलोनी भेपतपुरा मालाकाली श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4. गोरधनी पत्नी रामेश्वर
5. बनवारी पुत्र चूना समस्त जाति चमार (बलाई) निवासीगण ढाणी राणावाली तहसील व जिला सीकर
6. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण वैंक शाखा पिपराली
7. पंजाब नेशनल बैंक शाखा रधुनाथगढ जिला सीरकर
8. तहसील [illegible] सीकर
9. ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ
10. परमेश्वरलाल पुत्र भागीरथ
11. उर्मिला देवी पत्नी मंगलचन्द
12. रामकुमार पुत्र मुरली
13. ताराचन्द पुत्र बंशीलाल
14. तीजू देवी पत्नी पप्पूराम
15. बनवारी पुत्र रघुनाथ
16. शंकर पुत्र बंशीलाल
17. मैना पुत्री बीरबल
18. आरती पत्री बीरबल I
19. खुशी पु[illegible] बीरबल समस्त जाति बलाई निवासीगण राणावाली ढाणी तहसील व जिला सीकर

– अप्रार्थीगण–

30/11/22

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

...गण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 877,878,879,880 एवं 881 वाके ग्राम राणावाली ढाणी तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2656/949 एव 2687/949 भी वाके ग्राम राणावाली ढाणी तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। नजरी नक्शे में दर्शित प्रचलित रास्ता जो रघुनाथगढ से आगे अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की भूमि खसरा नम्बर 2656/949 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे अपनी भूमियों में आवागमन करते हैं। अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमियों के लिये नहीं है। उक्त रास्ता कटानशुदा नहीं है। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा अपने हिस्से में आई भूमि व रास्ता पडोसी खातेदारों से साज कर कर दूसरा कायम करवा लिया तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 4 की भूमियों का रास्ता बंद करवा दिया । हमारे पास अन्य कोई रास्ता नही है। अतः प्रार्थीगण की भूमियों में जाने के लिये 15 फिट रास्ता खसरा नम्बर 2656/949 एवं 2687/949 में से पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे कायम किया जाकर नक्शे मे तरमीम करवाया जावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार से रास्ते बाबत नियमानुसार प्रस्ताव मंगवाये जाने हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15,16,17 जरिये वकील उपस्थित रहे। शेष अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील के उपस्थित नहीं रहे । इसलिये इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 5 ने बाद में एक तरफा कार्यवाही निरस्त का आवेदन पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर उसे सुनवाई का अवसर दिया गया । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के कथनों का खण्डन किया एवं कथन किया कि खसरा नम्बर 2641/949 की दक्षिण सीमा तक कटान का रास्ता है तथा इसके पश्चात यह रास्ता खसरा नम्बर 2655/249 तथा 2656/949 एवं 951 की पश्चिमी सींव के सहारे सहारे मुख्य सडक पर मिलता है इस रास्ता का विवाद प्रार्थीगण के द्वारा जानबूझ कर किया जा रहा है। मौके पर 11 फिट चौड़े रास्ते को 22 फिट चौडा करने की सहमति उतरदातागण एंव अन्य खातेदारों द्वारा दी गई। जिनकी पालना प्रार्थीगण के द्वारा नहीं की जा रही है। इस संबंध में एक समझौता लेख भी निष्पादित हुआ है। प्रार्थीगण समझौते के आधार पर 11 फिट जगह नहीं छोड़कर वर्तमान सींव नींव के मध्य तारबंदी कर दी । इस तरह प्रार्थीगण स्वयं रास्ते पर अवरोध पैदा कर रहे हैं। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण

30/11/22

...खण्ड अधिकारी ...

Scanned with Oken Scanner

संख्या 13,15,16,17 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि खसरा नम्बर 950 व 951 में से प्रार्थीगण ने कोई रास्ते की मांग नहीं की है। जवाबदातागण को जानबुझ कर पक्षकार बनाया गया है। खसरा नम्बर 2656/949 व 2687/949 की पश्चिमी सीव के सहारे सहारे रास्ता कटान किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है। अन्य किसी भी पक्षकार द्वारा प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही किया गया। तहसीलदार सीकर से रास्ते बाबत प्रस्ताव क्रमांक राजस्व/2021/661 दिनांक 21.11.2021 प्राप्त हुआ। जिसमें पटवारी हल्का रघुनाथगढ का प्रस्ताव दिनांक 3.9.2021 एवं गिरदावर हलका की रिपोर्ट दिनांक 11.10.2021 संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 4 ने तहसीलदार के प्रस्तावानुसार रास्ता दिये जाने बाबत लिखित में सहमति प्रदान की है। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 9 ता 19 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 1.9.2022 की पालना में पक्षकार बनाया गया है। जिन्होने खसरा नम्बर 2656/949 एव 2687/949 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे रास्ता देने पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज करवाई है।

वकील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें आवेदन एवं जवाब आवेदन के तथ्यों को ही दोहराया गया है। वकील अप्रार्थी संख्या 5 ने तहसीलदार के प्रस्ताव में गिरदावर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 11.10.2021 में दर्शाये गये खसरा नम्बर 951 तक सम्पूर्ण रास्ता कटान में किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है का मौखिक कथन किया । यदि केवल प्रार्थीगण को ही रास्ता दिया जाता है तो उसे आपत्ति है। वकील प्रार्थीगण ने आपत्ति पर तर्क किया कि अप्रार्थी संख्या 5 के हिस्से में आयी भूमि तक जाने के लिये रास्ता है इसलिये अप्रार्थी संख्या 5 को रास्ते की आवश्यकता नहीं है।

हमने बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्ताव तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रस्तुत जमाबंदी संम्वत 2075–78 ग्राम राणावाली ढाणी तहसील व जिला सीकर में खसरा नम्बर 877 से 881 की खातेदारी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के नाम दर्ज है जो इनकी संयुक्त खातेदारी की भूमियां है खसरा नम्बर 2656/949 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम से दर्ज है तथा खसरा नम्बर 2687/949 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

रिपोर्ट तहसीलदार सीकर का अवलोकन किया गया जिसमें पटवारी हल्का रघुनाथगढ द्वारा दिनाक 3.9.2021 को रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाई गई है में बिन्दु संख्या 1 में प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा दिया गया है जिसमें खसरा नम्बर 2687/949 में से बिन्दु संख्या ए से बी तक 15 फिट चौडा रास्ता पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 164 फिट लम्बा बताया गया है जिसका रकबा 0.230 है0 एवं खसरा नम्बर 2656/949 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे 15 फिट चौड़ा एवं 82 फिट

30/11/22

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner

लम्बा रास्ता सी से डी दर्शाया गया है जिसका रकबा 0.0114 है0 अंकित किया है। बिन्दू संख्या 3 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि आवेदकगण को आवागमन हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लघुतम/कम दूरी के रास्ता का विवरण नजरी नक्शा में लाल स्याही से अंकित किया गया है। बिन्दू संख्या 5 में अंकित किया गया है कि आवेदकगण रास्ते के बदले भूमि या प्रतिकर के रूप मे दी जाने वाली राशि देने पर सहमत है परन्तु उपस्थित अप्रार्थीगण सहमत नहीं है। गिरदावर हलका की रिपोर्ट दिनांक 11.10.2021 का भी अवलोकन किया गया । जिसमें विकल्प एक के अनुसार जो प्रस्ताव दिया गया है यदि सभी खातेदार सहमति प्रदान करते तो यह रास्ता कटान में किया जा सकता था। परन्तु इस प्रस्ताव पर पक्षकारान की सहमति नहीं है। विकल्प 2 में दिनांक 3.9.2021 की रिपोर्ट के अनुसार दिया गया है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये रास्ते की अत्यन्त आवश्कता है तथा रिपोर्ट दिनांक 3.9.21 के अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि मे आवागमन हेतु लघुतम दुरी का रास्ता नजरी नक्शे में ए से बी एवं सी से डी है। इस प्रकार प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार के प्रस्ताव में दिनांक 3.9.2021 में दिये गये नजरी नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 2687/949 एवं 2656/949 में से प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 877,878,879 880 एवं 881 वाके ग्राम राणावाली ढाणी तहसील व जिला सीकर में आवागमन हेतु रास्ता कटान में किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का प्रतिफल डी.एल.सी दर का दो गुना के हिसाब से अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण द्वारा अदा किये जाने के के आदेश दिये जाते हैं। दिनांक 3.9.2021 का प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में दर्ज होने भूमि के रकबे का प्रतिफल डीएलसी दर के दो गुना के हिसाब से अंकन कर प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा करवा कर आदेश की पालना करें। निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

(गरिमा लाटा)

उपखण्ड अधिकारी सीकर

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

Scanned with Oken Scanner